न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री ओ.पी. बिश्नोई आर ०ए०एस)

मुकदमा संख्या :–09 / 2019

RCMS NO- 2019/00024

प्रार्थी		अप्रार्थी
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर	बनाम	1. श्री उदाराम जाट पुत्र श्री कुम्भाराम जाट उम्र 38 वर्ष जाति जाट निवासी पीटीएम–2 तहसील व जिला जैसलमेर। 2. मेसर्स बजरंग बली किराणा स्टोर पीटीएम–2 तहसील व जिला जैसलमेर (राज.)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (I I) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011)

उपस्थित :–

1. खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. श्री उदाराम जाट, अप्रार्थी संख्या 01 व 02

:: निर्णय ::

दिनांकः 21.12.2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (I I) के तहत् अप्रार्थीगण के विरूद्व न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.02.2018 को 11:00 एएम पर मेसर्स बजरंग बली किराणा स्टोर पीटीएम–2 तहसील व जिला जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी मेसर्स बजरंग बली किराणा स्टोर पीटीएम–2 तहसील व जिला जैसलमेर (राज.) दुकान / संस्थान पर विक्रेता श्री उदाराम जाट पुत्र कुम्भाराम जाट कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर नहीं होना बताया। अप्रार्थी मौके पर निरीक्षण के समय दुकान में रिफाइण्ड सोयाबीन तेल देवी दुर्गा ब्रांण्ड खाद्‌य पदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था। प्रार्थी द्वारा विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या ए5 की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात रिफाइण्ड सोयाबीन तेल देवी दुर्गा ब्रांण्ड लगभग 1–1 लीटर की नमूने वास्ते लिये जिसके पेटे 400 रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद रिफाइण्ड सोयाबीन तेल देवी दुर्गा ब्रांण्ड के चार नमूने लिये प्रत्येक को प्लास्टिक बोतल पैक कर मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना पर चिपकाए एवं लेबलो पर डीओं कोड एवं क्रमांक नम्बर एन–825 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ, जैसलमेर की हस्ताक्षर सुदा पेपर स्लीप एन–825 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप ऊपर धागे से बाधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मुहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद पदार्थ का विवरण एन–825 रिफाइण्ड सोयाबीन तेल देवी दुर्गा ब्रांण्ड लिख कर हस्ताक्षर किये। चारो नमूनो भागो को

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को श्री अनिल वैष्णव डीईओ के द्वारा दिनांक 26.02.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 24.02.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/11277–79 दिनांक 11.04.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./183/Act/2018/202 दिनांक 22.03.2018 अनुसार उक्त नमूना अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/स्वी./एन–825/ के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विक्रेता 1. श्री उदाराम जाट पुत्र श्री कुम्भाराम जाट उम्र 38 वर्ष जाति जाट निवासी पीटीएम–2 तहसील व जिला जैसलमेर 2. मेसर्स बजरंग बली किराणा स्टोर, पीटीएम–2 तहसील व जिला जैसलमेर (राज.) ने अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) रिफाइण्ड सोयाबीन तेल देवी दुर्गा ब्रांण्ड का विक्रय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी श्री उदाराम जाट द्वारा दिनांक 16.12.2020 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के क्रम में जबाब पेश कर निवेदन किया कि दुकान मैसर्स बजरंग बली किराणा स्टोर, पीटीएम–2 जैसलमेर मे दिनांक 24.02.2018 को निरीक्षण किया गया जो निर्मित सामग्री मैसर्स दीपक ट्रेडिग कम्पनी मोहनगढ जिला जैसलमेर द्वारा खरीदा गया है जिसमें रिफायण्ड सोयाबीन तेल देवी दुर्गा ब्राण्ड का खादय पदार्थ का सेम्पल लिया गया जो सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जो मेरे द्वारा मैसर्स दीपक ट्रेडिग कम्पनी, मोहनगढ जिला जैसलमेर द्वारा खरीदा गया है। सेम्पल का रिफायण्ड सोयाबीन तेल देवी दुर्गा ब्राण्ड का खादय पदार्थ का है। जो सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। निर्मित सामग्री मैसर्स दीपक ट्रेडिग कम्पनी, मोहनगढ जैसलमेर से निर्मित है। जो निर्मित सामग्री में मेरे द्वारा कोई भी हैर फैर नही किया गया है। भविष्य में निर्मित सामग्री की उत्तम क्वालिटी रहे इस बात का पूरा ध्यान रखूगा। श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी गरीब व निर्धन परिवार से है दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन बसर करता है। प्रार्थी की परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुऐं प्रकरण का निस्तारण कर प्रार्थी को राहत प्रदान कराने की कृपा करावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विवेचन पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./183/Act/2018/202 दिनांक 22.03.2018 के अनुसार रिफाइण्ड सोयाबीन तेल देवी दुर्गा ब्रांण्ड_का उक्त नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया हैं। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाब के समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पा रहा है। जिससे अप्रार्थी पर अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) स्तर के रिफाइण्ड सोयाबीन तेल देवी दुर्गा ब्रांण्ड खादय पदार्थ का विक्रय करने के लिए दोष साबित है। अप्रार्थी द्वारा खाद्यय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी श्री उदाराम जाट जो मैसर्स बजरंग बली किराणा स्टोर, पीटीएम–2 तहसील व जिला जैसलमेर फर्म के प्रोपराईटर पर अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) स्तर की खाद्य वस्तु रिफाइण्ड सोयाबीन तेल देवी दुर्गा ब्रांण्ड खादय पदार्थ विक्रय के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी संख्या 01 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ओ.पी.बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 21.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर